Supreme Court Will Hear PIL On Convicted Polit

https://www.connexionblog.com/2023/09/supreme-court-will-hear-pil-on-convicted-polit/

Supreme Court On Convicted Politicians: The petition demanding a lifetime ban on politicians convicted in criminal cases from contesting elections is to be heard in the Supreme Court today. In this case, senior lawyer Vijay Hansaria, amicus curiae, appointed by the Supreme Court, has given his advice. He has said in the report that convicted leaders should be banned from contesting elections for the rest of their lives.

Advocate Ashwani Upadhyay filed the petition in the bench headed by Chief Justice (CJI) DY Chandrachud. He has challenged Section 8 of the Representation of the People Act. It has been said that leaders who have been sentenced to two years or more are being unfairly given concessions. Under this section, leaders who are convicted in criminal cases become eligible to contest elections after 6 years. This provision itself should be declared unconstitutional.

Convicted people have no place even in National Human Rights Commission or Central Vigilance.
The Chief Justice's bench has appointed senior lawyer Vijay Hansarian as amicus curiae. He has said in his report that a person convicted in criminal cases does not get a government job. If they are working, they are dismissed. Even in constitutional institutions like the National Human Rights Commission or the Central Vigilance Commission, a person convicted is declared ineligible for any post.

In such a situation, public representatives are also citizens of this country and this law applies to them in every way. Therefore, convicted leaders should not be allowed to sit in Parliament or Assembly and make laws for others. He should also be banned from contesting elections throughout his life.

More than 5000 cases against public representatives across the country

The Amicus Curiae report also states that there are more than 5000 cases against public representatives across the country. Of these, 2116 cases are more than 5 years old. Maximum 1377 cases are registered in UP, 546 in Bihar and 442 in Maharashtra, which have not been resolved.

There is every possibility that the Supreme Court may also seek answers from the Central Government in this matter. While hearing this petition, the Supreme Court, based on the arguments and the report of the Amicus Curiae, had ordered the formation of special MP MLA courts in the entire country. This was done so that the cases filed against the leaders could be disposed of quickly

Sexual harassment panels: NHRC notice to sports bodies, ministry

https://english.newstrack.com/sports-news/sexual-harassment-panels-nhrc-notice-to-sports-bodies-ministry-425661?infinitescroll=1

Giving the federations four weeks to submit detailed reports, the NHRC said non-compliance of the PoSH law was a "matter of concern" which could "impact the legal right and dignity of sportspersons".

Taking suo motu cognizance of The Indian Express report highlighting non-compliance of provisions under the Prevention of Sexual Harassment (PoSH) law by national sports federations, the National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday issued notices to the erring sports bodies along with the Ministry of Youth Affairs and Sports.

The NHRC also sent notices to the Sports Authority of India (SAI) and the Board of Control for Cricket in India (BCCI).Giving the federations four weeks to submit detailed reports, the NHRC said non-compliance of the PoSH law was a "matter of concern" which could "impact the legal right and dignity of sportspersons"

.Last month, the MC Mary Kom-led committee formed by the government that looked into allegations of sexual harassment by some of the nation's top wrestlers against Wrestling Federation of India chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh pointed out the absence of an Internal Complaints Committee (ICC), as mandated by the 2013 PoSH

Act.Also Read - Will changes in Indian World Cup 2023 cricket team help boost India's chances?On May 4, an investigation report revealed that the wrestling body wasn't the only one violating the law.

Sixteen out of 30 sports federations — of disciplines in which India has participated in the 2018 Asian Games, the Tokyo Olympics in 2021 and last year's Commonwealth Games — did not have a fully-compliant ICC.

In a statement published on its website on Thursday, the NHRC said: "The Commission has observed that the contents of the media report, if true, amount to a violation of a law, and thus is a matter of concern as it may impact the legal right and dignity of the sportspersons."Also Read - India-Pak World Cup ODI match tickets being sold for Rs 50 lakh!Besides the Secretary, Department of Sports (Ministry of Sports and Youth Affairs), WFI, SAI and BCCI, the NHRC has also sent notices to the governing bodies of 15 other federations, which are of the following disciplines: handball, volleyball, basketball, weightlifting, yachting, gymnastics, table tennis, billiards and snooker, kayaking and canoeing, judo, squash, triathlon, kabaddi, badminton and archery.Also Read - Know

Uttar Pradesh T20 League 2023 schedule!“They have been asked to submit detailed reports within 4 weeks including the present status of the ICC in their organization as well as the steps taken or proposed to be taken to address the issue,” the NHRC said.

According to the law, the ICC needs to have a minimum of four members – at least half of them women – of whom one shall be an external member, preferably from an NGO or an association that works for women’s empowerment or a person familiar with issues related to sexual harassment, like a lawyer.

After reviewing the official declarations of all 30 federations, The Indian Express found that five federations, including wrestling, don’t even have an ICC; four don’t have the stipulated number of members; another six lacked the mandatory external member and one federation had two panels but neither had an independent member.

DAINIK JAGRAN, Gorakhpur, 16.9.2023
Page No. 15, Size:(10.98)cms X (9.10)cms.

मानवाधिकारों को लेकर बहुत सजग हैं नागरिक

साक्षात्कार

मानवाधिकारों को लेकर लोगों में जागरूकता कितनी बढ़ रही है इसका पता इसी से चलता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में रोजाना करीब 400 शिकायतें आती हैं। किसी को पेंशन नहीं मिल रही तो किसी का ठीक इलाज नहीं हो रहा, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान नहीं मिल रहा तो किसी की शिकायत है कि पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की, मतलब समस्याएं अलग-अलग और शिकायत का ठिकाना एक। लोग उम्मीद लेकर पहुंचते हैं कि अगर पुलिस नहीं सुनेगी, प्रशासन नहीं सुनेगा तो यहां बात सुनी जाएगी। देश और दुनिया में मानवाधिकार के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण और खतरनाक कचरा ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पूरी दुनिया संजीदा है और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए दिल्ली में 20-21 सितंबर को दो दिवसीय द्विवार्षिक सम्मेलन होने वाला है जिसमें दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा है। इसे देखते हुए मानवाधिकार के विभिन्न मुद्दों पर दैनिक जागरण की विशेष संवाददाता माला दीक्षित ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा से लंबी बातचीत की। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश...

● राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का दिल्ली में 20-21 सितंबर को द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस बारे में कुछ बताएं?

-एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो विभिन्न देश हैं इनमें जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बने हुए हैं, इसकी एक बैठक है जिसमें विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया जाना है। ये सम्मेलन 2019 में आयोजित होना था लेकिन कोरोना के कारण अभी तक नहीं हो सका। इसमें लगभग 31 देश हैं जिनमें 26 में मानवाधिकार आयोग हैं बाकी में मानवाधिकार आयोग बन तो गए हैं लेकिन उन्हें अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए वे आब्जर्वर के तौर पर इसमें भाग लेंगे।

● मानवाधिकार को लेकर लोग कितने जागरूक हैं?

-अगर प्रचार और संरक्षण की बात करें तो लोग अब अपने मानवाधिकारों को लेकर जागरूक हैं। पहले जब हमने प्रारंभ किया था तो उस समय शिकायतों की संख्या कम थी। अब प्रत्येक दिन सिर्फ हमारे यहां 400 के लगभग शिकायतें आती हैं और सालाना एक लाख से अधिक शिकायतें आती हैं। इससे प्रतीत होता है कि लोगों में जागृति है। उनको जहां भी दिखता है कि उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो शिकायत करते हैं। जैसे किसी को पेंशन नहीं मिल रही, किसी को प्रधानमंत्री योजना का मकान नहीं मिल रहा जो उसे मिलना चाहिए, पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की, किसी की करंट लगने से मृत्यु हो गई उसका उसे मुआवजा चाहिए तो वो हमारे यहां आ रहे हैं।

● इस समय देश भर में कुत्तों के काटने की गंभीर समस्या है। इस दिशा में क्या आयोग कुछ कर रहा है?

-इस संबंध में आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और कई प्रकरणों में नोटिस जारी किया है। पिछले दिनों दिल्ली में कुत्तों ने एक व्यक्ति को मार दिया था उसमें आयोग ने नोटिस जारी किया है। ऐसे पांच-छह मामलों में आयोग नोटिस जारी कर चुका है। आयोग इस संबंध में विचार-विमर्श करके कुछ न कुछ दिशा-निर्देश जारी करेगा।

● समान नागरिक संहिता पर चर्चा चल रही है। विधि आयोग विचार कर रहा है। क्या ये लागू होना चाहिए?

-हमारे संविधान में कामन सिविल कोड बनाने का प्रयास करने का दिशा-निर्देश शासन को दिया गया है। परंतु ये शासन को निर्धारित करना है कि वह समय आया है या नहीं। सुनवाई चल रही है तो इसके संबंध में पूर्व अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।

HINDU, Online, 16.9.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

SC seeks NMC reply on plea that 70% medical colleges do not pay or scrimp on stipend to interns

https://www.thehindu.com/news/national/sc-seeks-nmc-reply-on-plea-that-70-medical-colleges-do-not-pay-or-scrimp-on-stipend-to-interns/article67311751.ece

The court was hearing a petition filed by a batch of medical interns who had served in the Army College of Medical Sciences, run by the Army Welfare Education Society, in Delhi

The Supreme Court on Friday sought a response from the National Medical Commission (NMC) to a plea that almost 70% of the medical colleges do not pay stipend to MBBS interns or pay an amount less than that prescribed in law.

A Bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud said the NMC should come on record whether the statement in the petition was true and, if so, what steps were taken to ensure that the norms for payment of stipend to the young doctors had been complied with.

The court said the NMC had to provide the information in a tabulated chart in its affidavit.

Senior advocate R. Balasubramaniam, appearing in the case, said the National Human Rights Commission, taking cognisance of the complaints received from students, had in February asked the NMC to conduct a survey of the colleges to verify if the students were paid the prescribed stipend for the hours of hard work they put in.

The NMC (Compulsory Rotating Medical Internship) Regulations of 2021 require medical colleges, including private ones, to pay interns stipends “as fixed by the appropriate authority applicable to the institution or university or State”.

The court was hearing a petition filed by a batch of medical interns who had served in the Army College of Medical Sciences (ACMS), run by the Army Welfare Education Society, in Delhi.

Welfare measure

Mr. Balasubramaniam, for the college, said the ACMS was run as a welfare measure for the children of serving and retired Army personnel, and not a commercial venture. It had also recently suffered a college fee cut. The senior lawyer said the college provided facilities to students at a subsidised rate.

However, the court said the mandate of the 2021 Regulations could not be breached and interns had to be paid for their services. “Can you say we will not pay the students because you are non-profit? It may be charity for you, but livelihood for them. We cannot extract work from young doctors and not pay them. Not everyone would have parental support,” Chief Justice Chandrachud said.

In its interim order, the court ordered the college to pay a monthly stipend of ₹25,000 to its interns. The amount was fixed after comparing with the stipend paid by other medical colleges in Delhi.

Noting Mr. Balasubramaniam’s submission that the stipend payment might financially impact the college, the court asked it to approach the State Fee Regulatory Committee in Delhi in a month. The committee may, depending on the case made out by the ACMS, consider enhancement of the college fee. The Bench also suggested giving a lump sum amount to the previous ACMS batch of interns who had approached the apex court.

DAINIK JAGRAN, Rastriya Sanskaran, 16.9.2023
Page No. 03, Size:(18.97)cms X (8.66)cms.

मानवाधिकारों को लेकर बहुत सजग हैं नागरिक : जस्टिस अरुण मिश्रा

साक्षात्कार

मानवाधिकारों को लेकर लोगों में जागरूकता कितनी बढ़ रही है इसका पता इसी से चलता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में रोजाना करीब 400 शिकायतें आती हैं। किसी को पेंशन नहीं मिल रही तो किसी का ठीक इलाज नहीं हो रहा, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान नहीं मिल रहा तो किसी की शिकायत है कि पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की, मतलब समस्याएं अलग-अलग और शिकायत का ठिकाना एक। लोग उम्मीद लेकर पहुंचते हैं कि अगर पुलिस नहीं सुनेगी, प्रशासन नहीं सुनेगा तो यहां बात सुनी जाएगी।

देश और दुनिया में मानवाधिकार के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण और खतरनाक कचरा ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पूरी दुनिया संजीदा है और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए दिल्ली में 20-21 सितंबर को दो दिवसीय द्विवार्षिक सम्मेलन होने वाला है जिसमें दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा है। इसे देखते हुए मानवाधिकार के विभिन्न मुद्दों पर दैनिक जागरण की विशेष संवाददाता माला दीक्षित ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा से लंबी बातचीत की। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का दिल्ली में 20-21 सितंबर को द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस बारे में कुछ बताएं?

– एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो विभिन्न देश हैं इनमें जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बने हुए हैं, इसकी एक बैठक है जिसमें विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया जाना है। ये सम्मेलन 2019 में आयोजित होना था लेकिन कोरोना के कारण अभी तक नहीं हो सका। इसमें लगभग 31 देश हैं जिनमें 26 में मानवाधिकार आयोग हैं बाकी में मानवाधिकार आयोग बन तो गए हैं लेकिन उन्हें अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए वे आब्जर्वर के तौर पर इसमें भाग लेंगे।

• मानवाधिकार को लेकर लोग कितने जागरूक हैं?

– अगर प्रचार और संरक्षण की बात करें तो लोग अब अपने मानवाधिकारों को लेकर जागरूक हैं। पहले जब हमने प्रारंभ किया था तो उस समय शिकायतों की संख्या कम थी। अब प्रत्येक दिन सिर्फ हमारे यहां 400 के लगभग शिकायतें आती हैं और सालाना एक लाख से अधिक शिकायतें आती हैं। इससे प्रतीत होता है कि लोगों में जागृति है। उनको जहां भी दिखता है कि उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो शिकायत करते हैं। जैसे किसी को पेंशन नहीं मिल रही, किसी को प्रधानमंत्री योजना का मकान नहीं मिल रहा जो उसे मिलना चाहिए, पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की, किसी की करंट लगने से मृत्यु हो गई उसका उसे मुआवजा चाहिए तो वो हमारे यहां आ रहे हैं।

• आयोग पर्यावरण के मुद्दों को लेकर काफी सक्रिय है। वायु प्रदूषण और कचरा निस्तारण पर तो आयोग ने बहुत काम किया है। क्या इन प्रयासों से इस बार पराली जलने में कमी आएगी। प्रदूषण का स्तर घटेगा?

– पर्यावरण के संबंध में यहां केस आ रहे हैं। अभी तक 8700 से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। 46 केस लंबित हैं। पराली जलने के मामले में आयोग ने संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की है। उस संबंध में आयोग ने सम्यक निर्देश जारी किए हैं। अभी कार्रवाई चल रही है और भी राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। प्रयास चालू है तो निश्चित तौर पर इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में कमी आएगी। ऐसा हमें विश्वास है।

• इस समय देश भर में कुत्तों के काटने की गंभीर समस्या है। इस दिशा में क्या आयोग कुछ कर रहा है?

– इस संबंध में आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और कई प्रकरणों में नोटिस जारी किया है। पिछले दिनों दिल्ली में कुत्तों ने एक व्यक्ति को मार दिया था उसमें आयोग ने नोटिस जारी किया है। ऐसे पांच-छह मामलों में आयोग नोटिस जारी कर चुका है। आयोग इस संबंध में विचार-विमर्श करके कुछ न कुछ दिशा-निर्देश जारी करेगा।

• समान नागरिक संहिता पर चर्चा चल रही है। विधि आयोग विचार कर रहा है। क्या ये लागू होना चाहिए?

– हमारे संविधान में कामन सिविल कोड बनाने का प्रयास करने का दिशा-निर्देश शासन को दिया गया है। परंतु ये शासन को निर्धारित करना है कि वह समय आया है या नहीं। सुनवाई चल रही है तो इसके संबंध में पूर्व अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।

• आयोग के आदेशों के प्रभावी अनुपालन के लिए क्या उसको और अधिकार मिलने चाहिए?

– इसकी जरूरत नहीं है। हमारे आदेश के अनुपालन की दर 90 से 95 प्रतिशत है। और अधिकार की जरूरत नहीं।

DAINIK JAGRAN, Lucknow, 16.9.2023
Page No. 15, Size:(13.77)cms X (6.98)cms.

मानवाधिकारों को लेकर बहुत सजग हैं नागरिक

साक्षात्कार

मानवाधिकारों को लेकर लोगों में जागरूकता कितनी बढ़ रही है इसका पता इसी से चलता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में रोजाना करीब 400 शिकायतें आती हैं। किसी को पेंशन नहीं मिल रही तो किसी का ठीक इलाज नहीं हो रहा, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान नहीं मिल रहा तो किसी की शिकायत है कि पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं

की, मतलब समस्याएं अलग-अलग और शिकायत का ठिकाना एक। लोग उम्मीद लेकर पहुंचते हैं कि पुलिस नहीं सुनेगी, प्रशासन नहीं सुनेगा तो यहां बात सुनी जाएगी। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिर्वतन, बढ़ता प्रदूषण और खतरनाक कचरा ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पूरी दुनिया संजीदा है इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए दिल्ली में 20-21 सितंबर को द्विवार्षिक सम्मेलन होने वाला है जिसमें दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन हिस्सा लेंगे। आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा है। इसे देखते हुए मानवाधिकार के विभिन्न मुद्दों पर दैनिक जागरण की विशेष संवाददाता **माला दीक्षित** ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष **जस्टिस अरुण मिश्रा** से लंबी बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश -

● राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का दिल्ली में 20-21 सितंबर को द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस बारे में कुछ बताएं?

-एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो विभिन्न देश हैं इनमें जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बने हुए हैं, इसकी एक बैठक है जिसमें विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया जाना है। ये सम्मेलन 2019 में आयोजित होना था लेकिन कोरोना के कारण अभी तक नहीं हो सका। इसमें लगभग 31 देश हैं जिनमें 26 में मानवाधिकार आयोग हैं बाकी में मानवाधिकार आयोग बन तो गए हैं लेकिन उन्हें अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए वे आब्जर्वर के तौर पर इसमें भाग लेंगे।

● मानवाधिकार को लेकर लोग कितने जागरूक हैं?

-अगर प्रचार और संरक्षण की बात करें तो लोग अब अपने मानवाधिकारों को लेकर जागरूक हैं। पहले जब हमने प्रारंभ किया था तो उस समय शिकायतों की संख्या कम थी। अब प्रत्येक दिन सिर्फ हमारे यहां 400 के लगभग शिकायतें आती हैं और सालाना एक लाख से अधिक शिकायतें आती हैं। इससे प्रतीत होता है कि लोगों में जागृति है। जैसे किसी को पेंशन नहीं मिल रही, किसी को प्रधानमंत्री योजना का मकान नहीं मिल रहा जो उसे मिलना चाहिए, पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की, किसी की करंट लगने से मृत्यु हो गई उसका उसे मुआवजा चाहिए तो वो हमारे यहां आ रहे हैं।

● आयोग पर्यावरण के मुद्दों को लेकर काफी सक्रिय है। वायु प्रदूषण और कचरा निस्तारण पर क्या इन प्रयासों से इस बार पराली जलने में कमी आएगी। प्रदूषण का स्तर घटेगा?

-पर्यावरण के संबंध में यहां केस आ रहे हैं। अभी तक 8700 से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। 46 केस लंबित हैं। पराली जलने के मामले में आयोग ने संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की है। उस संबंध में आयोग ने सम्यक निर्देश जारी किए हैं। अभी कार्रवाई चल रही है और भी राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। प्रयास चालू है तो निश्चित तौर पर इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में कमी आएगी। ऐसा हमें विश्वास है।

● इस समय देश भर में कुत्तों के काटने की गंभीर समस्या है। इस दिशा में क्या आयोग कुछ कर रहा है?

-इस संबंध में आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और कई प्रकरणों में नोटिस जारी किया है। पिछले दिनों दिल्ली में कुत्तों ने एक व्यक्ति को मार दिया था उसमें आयोग ने नोटिस जारी किया है। ऐसे पांच-छह मामलों में आयोग नोटिस जारी कर चुका है।

● समान नागरिक संहिता पर चर्चा चल रही है। क्या ये लागू होना चाहिए?

-संविधान में कामन सिविल कोड बनाने का प्रयास करने का दिशा-निर्देश शासन को दिया है। परंतु ये शासन को निर्धारित करना है कि वह समय आया या नहीं।

JAGRAN, Online, 16.9.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Exclusive: 'मानवाधिकारों को लेकर बहुत सजग हैं नागरिक', जस्टिस अरुण मिश्रा बोले- पहले रोज आती थीं 400 शिकायतें

https://www.jagran.com/news/national-citizens-are-very-conscious-about-human-rights-says-justice-arun-mishra-23531397.html

मानवाधिकारों को लेकर लोगों में जागरूकता कितनी बढ़ रही है इसका पता इसी से चलता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में रोजाना करीब 400 शिकायतें आती हैं। किसी को पेंशन नहीं मिल रही तो किसी का ठीक इलाज नहीं हो रहा ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पूरी दुनिया संजीदा है और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए दिल्ली में 20-21 सितंबर को दो दिवसीय द्विवार्षिक सम्मेलन होने वाला है।

नई दिल्ली, माला दीक्षित। मानवाधिकारों को लेकर लोगों में जागरूकता कितनी बढ़ रही है इसका पता इसी से चलता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में रोजाना करीब 400 शिकायतें आती हैं। किसी को पेंशन नहीं मिल रही तो किसी का ठीक इलाज नहीं हो रहा, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान नहीं मिल रहा तो किसी की शिकायत है कि पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की, मतलब समस्याएं अलग-अलग और शिकायत का ठिकाना एक। लोग उम्मीद लेकर पहुंचते हैं कि अगर पुलिस नहीं सुनेगी, प्रशासन नहीं सुनेगा तो यहां बात सुनी जाएगी। देश और दुनिया में मानवाधिकार के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है।

पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिर्वतन, बढ़ता प्रदूषण और खतरनाक कचरा ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पूरी दुनिया संजीदा है और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए दिल्ली में 20-21 सितंबर को दो दिवसीय द्विवार्षिक सम्मेलन होने वाला है जिसमें दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन हिस्सा लेंगे।

कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा है। इसे देखते हुए मानवाधिकार के विभिन्न मुद्दों पर दैनिक जागरण की विशेष संवाददाता माला दीक्षित ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा से लंबी बातचीत की।

सवाल- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का दिल्ली में 20-21 सितंबर को द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस बारे में कुछ बताएं?

उत्तर- एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो विभिन्न देश हैं इनमें जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बने हुए हैं, इसकी एक बैठक है जिसमें विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया जाना है। ये सम्मेलन 2019 में आयोजित होना था लेकिन कोरोना के कारण अभी तक नहीं हो सका। इसमें लगभग 31 देश हैं जिनमें 26 में मानवाधिकार आयोग हैं बाकी में मानवाधिकार आयोग बन तो गए हैं लेकिन उन्हें अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए वे आब्जर्वर के तौर पर इसमें भाग लेंगे।

सवाल- मानवाधिकार को लेकर लोग कितने जागरूक हैं?

उत्तर- अगर प्रचार और संरक्षण की बात करें तो लोग अब अपने मानवाधिकारों को लेकर जागरूक हैं। पहले जब हमने प्रारंभ किया था तो उस समय शिकायतों की संख्या कम थी। अब प्रत्येक दिन सिर्फ हमारे यहां 400

के लगभग शिकायतें आती हैं और सालाना एक लाख से अधिक शिकायतें आती हैं। इससे प्रतीत होता है कि लोगों में जागृति है। उनको जहां भी दिखता है कि उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो शिकायत करते हैं। जैसे किसी को पेंशन नहीं मिल रही, किसी को प्रधानमंत्री योजना का मकान नहीं मिल रहा जो उसे मिलना चाहिए, पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की, किसी की करंट लगने से मृत्यु हो गई उसका उसे मुआवजा चाहिए तो वो हमारे यहां आ रहे हैं।

सवाल- आयोग पर्यावरण के मुद्दों को लेकर काफी सक्रिय है। वायु प्रदूषण और कचरा निस्तारण पर तो आयोग ने बहुत काम किया है। क्या इन प्रयासों से इस बार पराली जलने में कमी आएगी। प्रदूषण का स्तर घटेगा?

उत्तर- पर्यावरण के संबंध में यहां केस आ रहे हैं। अभी तक 8700 से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। 46 केस लंबित हैं। पराली जलने के मामले में आयोग ने संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की है। उस संबंध में आयोग ने सम्यक निर्देश जारी किए हैं। अभी कार्रवाई चल रही है और भी राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। प्रयास चालू है तो निश्चित तौर पर इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में कमी आएगी। ऐसा हमें विश्वास है।

सवाल - इस समय देशभर में कुत्तों के काटने की गंभीर समस्या है। इस दिशा में क्या आयोग कुछ कर रहा है?

उत्तर- इस संबंध में आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है और कई प्रकरणों में नोटिस जारी किया है। पिछले दिनों दिल्ली में कुत्तों ने एक व्यक्ति को मार दिया था उसमें आयोग ने नोटिस जारी किया है। ऐसे पांच-छह मामलों में आयोग नोटिस जारी कर चुका है। आयोग इस संबंध में विचार-विमर्श करके कुछ न कुछ दिशा-निर्देश जारी करेगा।

सवाल - समान नागरिक संहिता पर चर्चा चल रही है। विधि आयोग विचार कर रहा है। क्या ये लागू होना चाहिए?

उत्तर- हमारे संविधान में कामन सिविल कोड बनाने का प्रयास करने का दिशा-निर्देश शासन को दिया गया है। परंतु ये शासन को निर्धारित करना है कि वह समय आया है या नहीं। सुनवाई चल रही है तो इसके संबंध में पूर्व अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।

सवाल - आयोग के आदेशों के प्रभावी अनुपालन के लिए क्या उसको और अधिकार मिलने चाहिए?

उत्तर- इसकी जरूरत नहीं है। हमारे आदेश के अनुपालन की दर 90 से 95 प्रतिशत है। और अधिकार की जरूरत नहीं।

पटियाला: हिरासत में घायल होने से आरोपी की मौत, 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच दर्ज

https://jantaserishta.com/local/punjab/patiala-accused-dies-of-injuries-in-custody-probe-marked-against-3-cops-2812117

न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटियाला की एक रिपोर्ट के बाद एक SHO सहित तीन पुलिस कर्मियों की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है, जिसमें बताया गया है कि लाहौरी गेट पुलिस की हिरासत में "चोरी के आरोपी की सिर, छाती और वृषण चोटों से मौत हो गई"। पिछले महीने स्टेशन.रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंप दी गई है.पीड़ित मंगल को 8 जुलाई को आईपीसी की धारा 457 और 380 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर उसे रात में अपने साथी के साथ एक आभूषण की दुकान में प्रवेश करते और सोने के गहने लेकर भागते हुए दिखाया गया है।डीएसपी (सिटी 1) संजीव सिंगला ने कहा, "मंगल की पहचान कर ली गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 10 जुलाई को, लॉक-अप के अंदर खुद का गला घोंटने की कोशिश के बाद उन्हें सरकारी राजिंदरा अस्पताल ले जाया गया।हालांकि, पुलिस विभाग के सूत्रों ने पुष्टि की कि पीड़ित की पिटाई की गई और उसे प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

"पीड़ित को खुद का गला घोंटने की कोशिश करते देखा गया, शायद चोटों के कारण अत्यधिक दर्द के कारण। जब उसने अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश की, तभी ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मी उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। प्रारंभ में, पुलिस ने दावा किया था कि पीड़िता की मौत गला घोंटने से हुई है, "सूत्रों ने कहा।बाद में, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पटियाला द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में स्थापित किया गया कि पीड़िता की "सिर, छाती और वृषण चोटों के कारण मृत्यु हो गई"।

"...डॉक्टरों के एक बोर्ड द्वारा दी गई अंतिम राय में कहा गया है कि मंगल की मौत सिर, छाती और वृषण चोटों के कारण हुई थी, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है, जो मृत्यु पूर्व है और प्रकृति के सामान्य तरीके से मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त है", रिपोर्ट पढ़ता है.पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने कहा कि उन्होंने लाहौरी गेट पर SHO रहे एसआई रमनप्रीत सिंह, ASI हरपाल सिंह और हेड कांस्टेबल इंद्रजीत सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।

सौतेला पुत्र कर रहा मां के साथ मारपीट

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/shamli/story-step-son-is-beating-his-mother-8717548.html

एक महिला नेअपनेसोतेलेपुत्र पर मारपीट कर उत्पीडन करनेका आरोप लगातेहुए रा राष्ट्री ष्ट्रीय मा मानवा वाधिधिका कार आयो योग को पत्र लिखा है। शहर के टंकी रोड निवासी महिल

एक महिला नेअपनेसोतेलेपुत्र पर मारपीट कर उत्पीडन करनेका आरोप लगातेहुए रा राष्ट्री ष्ट्रीय मा मानवा वाधिधिका कार आयो योग को पत्र लिखा है। शहर के टंकी रोड निवासी महिला अनिता पत्नी सुरेश कुमार गर्गनेबताया कि वह दिव्यांग है, जिसकी दूसरी शादी हुई है।

पति की भी दूसरी शादी होनेके कारण उसके पूर्वपत्नी सेतीन बच्चेहै, जिसमेंदो पुत्रियां व एक पुत्र यश कुमार गर्गहै। आरोप हैकि यश कुमार गलत संगति मेंहोनेके कारण वह उसको रोकती और टोकती हैतो वह रंजिश रखनेलगा है। बदसलूकी कर मानसिक उत्पीडन किया जा रहा है। गत 14 सितंबर को भी मारपीट की गई। यही नही मकान सेगैंस का सिलेंडर व चूल्हा उठाकर लेगया। पीडित महिला नेराष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग को पत्र लिखकर मामलेमेंन्याय दिलानेकी मांग की है।

शहादात को सलाम

https://jantaserishta.com/editorial/salute-to-martyrdom-2810969

सर्वोच्च न्यायालय की यह चिन्ता पूरी तरह जायज है कि फौजदारी या आपराधिक मामलों की चल रही जांच की जानकारी मीडिया या प्रेस को इस प्रकार दी जानी चाहिए जिससे ऐसे मामलों में फंसे अरोपियों के बारे में मीडिया स्वयं ही किसी जज की हैसियत में आकर निष्कर्ष न निकालने लगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष यह मामला पुलिस मुठभेड़ों की जांच प्रक्रिया के सन्दर्भ में उठा। यह तो सर्व विदित है कि आपराधिक मामलों में मीडिया की भी रुचि होती है और वह एेसे मामलों की रिपोर्टिंग पुलिस से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही करता है मगर यदि मीडिया केवल रिपोर्टिंग तक ही सीमित रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है मगर टीवी चैनलों पर इन जानकारियों के आधार पर ही जिस प्रकार निष्कर्ष निकाले जाने लगते हैं और आरोपी को न्यायालयों से फैसला आने से पूर्व ही जिस तरह अपराधी घोषित किया जाने लगता है उससे न्याय प्रक्रिया पर असर पड़ने की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। इसे ही 'मीडिया ट्रायल' कहा जाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत की न्याय प्रणाली जिस मूल सिद्धान्त पर टिकी हुई है वह यह है कि किसी 'निरपराधी' को किसी भी सूरत में सजा नहीं मिलनी चाहिए। यदि कोई निरपराध व्यक्ति अपराधी या खतावार बन जाता है तो उससे न्याय की अवधारणा को ही गहरी चोट पहुंचती है। बेशक लोकतन्त्र में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार जनता को होता है और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता भी भारत में मौलिक अधिकारों में शामिल है मगर इसका उपयोग किसी आरोपी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसा केवल फौजदारी मामलों में ही नहीं होता बल्कि कभी-कभी राजनैतिक मामलों में भी हो जाता है। स्वतन्त्र भारत में एेसा पहला मामला 1958 के करीब आया था। उस समय प्रधानमन्त्री पं.

जवाहर लाल नेहरू की सरकार के वित्त मन्त्री श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के खिलाफ संसद के भीतर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के सांसद व पत्रकार स्व. फिरोज गांधी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने एक पूंजीपति हरिदास मून्दड़ा को भारतीय जीवन निगम से उनकी कम्पनी के शेयरों के बदले सवा करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। इन शेयरों की कीमत ज्यादा आंक कर यह ऋण दिया गया। श्री फिरोज गांधी स्व. इंदिरा गांधी के पति व नेहरू जी के दामाद थे। अपने दामाद द्वारा अपनी सरकार के वित्त मन्त्री के विरुद्ध लगाये गये इस आरोप को देखते हुए नेहरू जी ने तभी तुरत- फुरत स्व. एम.सी. चागला के नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित कर दिया। श्री चागला प्रसिद्ध न्यायविद् व पूर्व न्यायाधीश थे। भारत के आज तक के इतिहास का यह ऐसा जांच आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट केवल 12 दिन में ही दे दी थी। इस रिपोर्ट में श्री कृष्णमाचारी के ऊपर सन्देह की सुई उठाई गई थी जिसे देखते हुए नेहरू जी ने श्री कृष्णमाचारी से इस्तीफा ले लिया और मामला जांच के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया गया जहां से श्री कृष्णमाचारी बेदाग निकले। श्री फिरोज गांधी तब अंग्रेजी के इंडियन एक्सप्रेस अखबार के प्रबन्ध सम्पादक भी थे और सांसद भी थे। यह मात्र एक उदाहरण है। परन्तु आज कल तो हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। किसी पर आरोप लगने के साथ ही उस व्यक्ति का 'मीडिया ट्रायल' विभिन्न टीवी चैनलों पर शुरू हो जाता है और गवाह से लेकर पीड़ित तक के साक्षात्कार शुरू हो जाते हैं और निष्कर्ष भी निकाले जाने शुरू हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति तब तक निरपराध ही माना जाता है

जब तक की अदालत उसे सजा न सुना दे। मगर सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार टीवी चैनल या अखबार में पुलिस से प्राप्त जानकारी के आधार पर फैसले जैसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उससे सबसे ज्यादा पीड़ित 'न्याय' ही होता है। क्योंकि किसी भी मामले की जारी जांच के बीच कोई निर्णयात्मक निष्कर्ष निकालना पूरी तरह न्याय की भावना के विरुद्ध ही माना जायेगा। इसकी वजह भी सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने बताई है और कहा है कि जांच प्रक्रिया के दौरान ही गवाहों को प्रभावित होने से पूरी न्याय प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि इस तरफ देश के गृह मन्त्रालय का ध्यान नहीं हैं। 2010 में गृह मन्त्रालय ने पुलिस के लिए एक निदेशिका बनाई थी जिसमें पुलिस द्वारा फौजदारी मामलों की चल रही जांच के दौरान मीडिया को जानकारी देने के लिए कुछ सिद्धान्त बनाये गये थे। मगर तब से लेकर अभी तक आपराधिक मामलों के बारे में मीडिया की जिज्ञासा बहुत बढ़ चुकी है।

हकीकत यह है कि टीवी चैनलों के बीच ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग में प्रतियोगिता जैसा माहौल बन चुका है। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि मन्त्रालय तीन महीने के भीतर एक नई नियम निदेशिका पुलिस के लिए तैयार करे। न्यायमूर्तियों का मानना है कि फौजदारी के चल रहे मामलों की जानकारी देने के लिए पुलिस की तरफ से एक विशिष्ट अधिकारी तय किया जाना चाहिए जो मीडिया के साथ समय-समय पर जांच से जुड़े तथ्यों की जानकारी देने के लिए अधिकृत हो। यह जानकारी हर आपराधिक मामले के अलग होने पर अलग तरह की ही होगी और सब चीजों का ध्यान रखते हुए होगी और इस तरह होगी कि उसके आधार पर मीडिया ट्रायल न हो सके। न्यायालय ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिये हैं कि वे एक महीने के भीतर इस बाबत अपने सुझाव गृह मन्त्रालय को दे दें जिससे मन्त्रालय तीन महीने के भीतर नई निदेशिका लागू करने के लिए तैयार हो सके। इस बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी शामिल किया जाना चाहिए।

ORISSA POST, Bhubaneswar, 16.9.2023
Page No. 5, Size:(25.82)cms X (10.57)cms.

NHRC asks Balasore SP to appear in person

PNN & AGENCIES

FARMER'S DEATH INSIDE DRDO RANGE

Kendrapara, Sept 15: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued summons to Balsore SP to appear in person before the commission November 2 regarding the death of a fisherman inside DRDO range.

The NHRC took the stringent step of personal appearance as the SP failed to submit a detailed enquiry report. The commission also asked the Balasore Collector to submit a complete report or else he will face the coercive action.

The NHRC passed the order September 11 acting on a petition filed by human rights activist Radhakanta Tripathy.

Tripathy stated that one fisherman identified as Kamal Lochan Majhi was killed while another Padma Lochan Mallik sustained injury, after being hit by splinters of an artillery shell fired from a Defence Establishment in Balasore.

Alleging that the fatal incident took place inside the prohibited area of Proof and Experimental Establishment (PXE), a unit of DRDO at Chandipur, Tripathy sought for assessing the situation and ascertaining the reasons behind the mishaps, permanent steps taken to curb such incidents and compensation to the family members of the deceased and the injured fisherman. he Balasore DM in his report September 28,2022 had stated that deceased Kamal Lochan Majhi along with other persons entered into the prohibited area (firing range of DRDO, Chandipur), while test firing was going on and sustained injuries, which resulted in the death of the victim. The DRDO, Chandipur has been requested to intensify awareness activities in the nearby area of the prohibited zone through public address system and development of manpower in the vulnerable points including the sea beds, wherein there are chances of infiltration of human beings.

No monetary compensation has been paid to next of kin of the deceased. The Collector had requested the Director, DRDO, Balasore and Balasore SP on various occasions to submit the detailed report, so that the consolidated report could be filed with the commission.

The Balasore SP however failed to submit a report despite issuance of summons July 4. The NHRC has forwarded the copy of the proceedings to the DGP, Odisha for ensuring compliance of the direction by the Balasore SP.